छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)
Ph.No.-0771-2512121, Website:-www.cghb.gov.in

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

!! आदेश !!

क्रमांक – 32

दिनांक 23/12/2020

विषयः–मण्डल के निर्मित आवासीय/व्यावसायिक भवनों/भूखण्डों को 2% संपरिवर्तन शुल्क एवं अग्रिम लीज राशि लेकर फ्री–होल्ड में विक्रय करने के संबंध में।

---000---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 66वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 09.12.2020 के पद संख्या क्रमांक 07 पर पारित संकल्प क्रमांक 1850/07/66/12/2020 के द्वारा संचालक मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–100/2009/32, दिनांक 30.12.2011 के परिपालन में मण्डल के आदेश क्रमांक 12, दिनांक 01.05.2012 एवं आदेश क्रमांक 01, दिनांक 26.03.2013 को निरस्त कर तथा राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ–4–07/सात–1/2019 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26.10.2019 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में लागू कर समस्त आवासीय/व्यवसायिक भखण्डों/भवनों में प्रचलित गाईड–लाईन का 2% संपरिवर्तन शुल्क एवं 10 वर्षो का अग्रिम भू–भाटक राशि लिया जाकर फ्री–होल्ड के रुप में संपरिवर्तन किए जाने/फ्री–होल्ड पर विक्रय किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान करते हुए प्रकरण छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित करने अन्य सभी प्रकार की कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र 2268/आ.आ./सं.प्र.शा./मुख्या/एफ. /20 नवा रायपुर अटल नगर,दिनॉक 23/12/2020

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर आयुक्त,(जे/व्ही/पी), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्रमशः–02

5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त—रायपुर/वृत्त—नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर /अंबिकापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग—01,02,03,04 रायपुर/ राजधानी परियोजना संभाग—01,02 नवा रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/ बिलासपुर /रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/ कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
11. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र—01,02,03,04, रायपुर /राज.परि.रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/ अंबिकापुर /कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/कोरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संपदा अधिकारी (प्रभारी), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ
13. प्रभारी, एन.आई.सी., छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
14. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला—रायपुर (छ.ग.)